महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 08.03.2025

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के थाना कोतवाली नगर में मौजूद रहकर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया, प्राप्त हुयी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किए जाने हेतु सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांकः- 08.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद महोबा के थाना कोतवाली नगर महोबा में मौजूद रहकर क्षेत्र से आये हुए फरियादियों से सम्बन्धित समस्याओं की जनसुनवाई की गई।

जनसुनवाई के दौरान फरियादियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु आश्वस्त कर उनकी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किये जाने हेतु मौके पर मौजूद राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर टीम को मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं ।

इसी क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा राजस्व विभाग के साथ संयुक्त रुप से अपने-अपने थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन कर जनता की समस्याओं को सुना गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करते हुए उनके त्वरित व विधिक निस्तारण हेतु संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण किया/कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 08.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 08.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 08.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला की पुलिस टीम ने जानलेवा हमला करने के आरोप में वांछित अभियुक्त को अवैध शस्त्र/कारतूस के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्र के निष्कर्षण पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 17/25 धारा 109(1)/115(2)/352/351(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 से सम्बन्धित 01 नफर वाछिंत अभियुक्त राहुल अहिरवार पुत्र उदयभान उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा को ग्राम चन्दौली के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। दौराने गिरफ्तारी अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राहुल अहिरवार पुत्र उदयभान उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा
2. का0 धर्मेन्द्र सिंह
3. का0 अनिल कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 08.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जिलाधिकारी महोबा व पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनपद के समस्त प्रभावी डायवर्जन प्वाइंट्स का किया गया निरीक्षण,कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश...

जनपद महोबा में यातायात व्यवस्था को गतिमान बनाये रखने तथा सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी रोक लगाये जाने के उद्देश्य से आज दिनांक- 08.03.2025 को जिलाधिकारी महोबा, श्री मृदुल चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनपद के समस्त प्रभावी डायवर्जन प्वाइंटस का निरीक्षण किया गया तथा ड्यूटीरत कर्मचारियों को डायवर्जन के संचालन हेतु कड़ाई से अनुपालन करने व कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।

इसी क्रम में जनपद महोबा से विभिन्न जनपदों के लिए जाने वाली भारी माल वाहक वाहनों के डायवर्जन के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि जनपद महोबा से जनपद कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, औरैया, इटावा के लिए जाने वाले ट्रक, डम्फर, ट्रेलर आदि माल वाहक वाहनों को थाना खन्ना क्षेत्र से डायवर्ट कर बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे से ही आगे की ओर रवाना किया जाये। किसी भी माल वाहक वाहन को मौदहा, हमीरपुर, घाटमपुर, कानपुर के रास्ते न जाने दिया जाये। इसी प्रकार जनपद महोबा से जनपद फतेहपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ, बांदा, कौशाम्बी जाने वाले माल वाहक वाहनों को जनपद बांदा की ओर से ही जाने दिया जाये।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी राम प्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह, वरिष्ठ खान अधिकारी, उपजिलाधिकारी जितेन्द्र कुमार, प्रभारी निरीक्षक कबरई नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक खन्ना बीरेन्द्र प्रताप सिंह, पीआरओ अरविन्द सिंह गौर सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 08.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद के मॉनिटरिंग सेल प्रभारी, समस्त पैरोकारों व अभियोजन अधिकारियों के साथ समीक्षा गोष्ठी कर दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देशः-

दिनांकः- 07.03.2025 को श्रीमती वन्दना सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन अवस्थित सभागार, महोबा में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत जनपद के सभी थानों एवं न्यायालय में नियुक्त पैरोकारों/कोर्ट मोहर्रिर तथा अभियोजन अधिकारी न्यायालय मॉनिटरिंग सेल प्रभारी के साथ गोष्ठी आयोजित कर मा0 न्यायालय में अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी पैरवी की समीक्षा करते हुये सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने निर्देशित किया कि उ0प्र0 शासन की अपराधियों पर जीरों टॉलरेन्स की नीति के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराध एवं पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अपराधों को चिन्हित करते हुये प्रचलित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर सजा कराये और न्यायिक कार्यों को समयबद्ध एवं विधि अनुसार सम्पन्न कराने सम्बन्धित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये, निर्देशित किया कि मा0 न्यायालय में मुकदमों से सम्बन्धित वादों में सूचना सही से तामील करायें, गवाहों को समय से परीक्षित कराये और चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर सम्बन्धित अभियुक्त को सजा करायें।

इस अवसर पर मॉनिटरिंग सेल प्रभारी मनोज कुमार शुक्ला, अभियोजन अधिकारी कृष्णपाल सिंह, मो0 मोइनुर्रहमान, विनय कुमार, प्रमोद कुमार पालीवाल सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे।

जिलाधिकारी महोबा व पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खनिज बैरियरों का किया गया निरीक्षण, अनियमितता पाये जाने पर 05 वाहनों व 01 स्टोन क्रशर को किया गया सीज तथा 04 क्रशर व 25 अन्य वाहनों के विरुद्ध की गयी प्रभावी कार्यवाही

जनपद महोबा में यातायात व्यवस्था को गतिमान बनाये रखने तथा सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी रोक लगाये जाने के उद्देश्य से आज दिनांक- 08.03.2025 को जिलाधिकारी महोबा, श्री मृदुल चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खनिज चेक पोस्ट- बांदा बैरियर व कबरई बैरियर का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरे, गाड़ियों के एंट्री रजिस्टर में माइन टैग, गाड़ियों की रॉयल्टी को चेक किया गया तथा अन्य दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई है, इस दौरान मौके पर मौजूद वरिष्ठ खान अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में जनपदीय स्तर पर गठित ज्वाइंट टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक 07/08.03.2025 को निम्न कार्यवाही की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है:-

- बिना परिवहन परिपत्र पाये जाने पर 04 वाहन चालकों, 04 वाहन स्वामियों व 04 क्रशर कारोबारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
- लोडिंग पोइन्ट पर बिना रॉयल्टी / ओवर लोडिंग कराये जाने के कारण 01 स्टोन क्रशर को सीज किया गया।
- अनियमितता पाये जाने पर 05 वाहनों को सीज किया गया तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर 15 वाहनों का आनलाइन चालन करते हुये 06 वाहनों को कबरई मण्डी मे खड़ा कराया गया।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी राम प्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह, वरिष्ठ खान अधिकारी, उपजिलाधिकारी जितेन्द्र कुमार, प्रभारी निरीक्षक कबरई नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक खन्ना बीरेन्द्र प्रताप सिंह, पीआरओ अरविन्द सिंह गौर सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे।